कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 18–19 दिनांकः 10.07.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक प्रथम।

विषयः– माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 की क्रियान्विति के अन्तर्गत सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः– कार्यालय का पत्रांक शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28013 / 18–19 दिनांक 14.06.2018 एवं 26.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2018–19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 के अनुसार राज्य में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में सामान्य वर्ग की (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) की पात्र छात्राओं द्वारा दिनांक 07.07.2018 तक सम्बन्धित विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं सम्बन्धित विद्यालय द्वारा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.07.2018 तक जमा कराने थे । उक्त आवेदन पत्रो की जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जांच कर निदेशालय स्तर से जारी प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब तैयार कर जिला स्तर पर कमेटी की अभिशंषा उपरान्त निदेशालय को भिजवाये जाने थे । कतिपय विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा मूल अंक तालिकाऐं प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित मेधावी छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र जमा नहीं किये जा रहे है । जिसके सम्बन्ध में आपको पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

1. यदि किसी पात्र मेधावी छात्रा की मूल अंक तालिका बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुई है तो मेधावी छात्रा द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वैबसाईट द्वारा जारी अंक तालिका की प्रति को पात्र मेधावी छात्रा स्व प्रमाणित कर सम्बन्धित विद्यालय में प्रस्तुत करेगी । उक्त विद्यालय अपने परीक्षा परिणाम के आधार पर उक्त अंक तालिका को प्रमाणित कर आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगें । मूल अंक तालिका प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित मेधावी छात्रा अपने विद्यालय के मार्फत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगी । मूल अंक तालिका के अभाव में मेधावी छात्रा एवं सम्बन्धित विद्यालय द्वारा स्व प्रमाणित अंक तालिका मूल अंक तालिका से भिन्न होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी समबन्धित मेधावी छात्रा एवं विद्यालय के खिलाफ अपने स्तर से सक्षम कार्यवाही करेगें ।
2. मेधावी छात्राओं एवं विद्यालयों द्वारा स्कूटी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने की दिनांक निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :–

क्रम संख्या	स्कूटी हेतु निर्धारित आवेदन पत्र एवं दिशा निर्देश	मेधावी छात्रा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करनें की अन्तिम दिनांक व स्थान	समबन्धित विद्यालय द्वारा जिशिअ कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व स्थान	सम्बन्धित जिशिअ द्वारा स्कूटी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर प्रपत्र–अ एवं प्रपत्र–ब तैयार कर निदेशालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक
1	कार्यालय,समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–प्रथम व विभागीय वैबसाईट **www.education.rajasthan.gov.in /www.rajrmsa.nic.in** पर निःशुल्क उपलब्ध है ।	दिनांक 16.07.2018 (शाला समय) सम्बन्धित विद्यालय (सरकारी / निजी) जहां से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है।	दिनांक 17.07.2018 (कार्यालय समय) सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक कार्यालय ।	दिनांक– 19.07.2018 कार्यालय समय में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के लेखा डी–2 अनुभाग में ।

www.rajteachers.com

.....2.....

3. स्कूटी वितरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, आवेदन पत्र, प्रपत्र–अ, प्रपत्र–ब, कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति, कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश, स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत जारी आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 06.07.2018 एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा कक्षा–10, कक्षा–12 (कला, विज्ञान, वाणिज्य), प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर राजकीय एवं निजी विद्यालयों की सामान्य वर्ग की छात्राओं जिनके 85 प्रतिशत से अधिक अंक थे उनकी सूची बोर्ड द्वारा निदेशालय को भिजवाई गई थी। निदेशालय द्वारा उक्त सूचियों को जिलेवार करते हुए आपको पूर्व में भिजवा दी गई है । बोर्ड द्वारा भिजवाई गई सूची के अलावा जिले की अन्य कोई पात्र छात्रा (पुनर्मूल्यांकन के कारण अंको में वृद्धि, रोके गये परीक्षा परिणाम के कारण एवं बोर्ड की सूची में अन्य कारणों से शामिल नहीं होने के कारण) हो तो उक्त छात्रा का भी आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित विद्यालय से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर जांच कर सूचना निदेशालय को भिजवावें ।
4. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु जिला स्तर पर भी प्रमुख समाचार पत्रो में प्रेस नोट अपने स्तर से भी जारी करें साथ ही जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानो को इस सम्बन्ध में पाबन्द करें कि पात्र मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक जमा करवावें ताकि कोई भी मेधावी छात्रा स्कूटी के लाभ से वंचित न रहे ।
5. कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति (निःशुल्क स्कूटी हेतु) दिनांक 10.07.2018 की प्रति नोटिस बोर्ड एवं अधीनस्थ विद्यालयों को सूचना हेतु भिजवाई जा रही है ।

आप द्वारा समय पर सूचना नहीं भिजवाये जाने की स्थिति में फर्म को कार्य आदेश जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब होगा तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा । मेधावी छात्राओं के आवेदन पत्र मय दस्तावेजो के आप अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेगें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान–बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा,राजस्थान–जयपुर को भेजकर लेख हे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,अजमेर द्वारा शेक्षणिक सत्र 2017–18 में प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय हेतु पात्र छात्राओं के आवेदन पत्र समबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने हेतु अपने अधीनस्थ को पाबन्द करें ।
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को समय पर आवेदन पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द करते हुए उक्त कार्य की मोनेटरिंग अपने स्तर से करें ।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर